

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/66/2011

दर्ज दिनांक:-13.09.2011

1. देशराज सिंह पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. करतारसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

नीरपालसिंह

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-30.01.18

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके अभिभाषक को रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण इसी स्टेज पर अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर